भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 382
दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

दुधारू पशुपालन

382.श्री रामप्रीत मंडलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कोई पशुपालन योजना लागू कर रही है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से दुधारू पशु पालन योजना भी लागू कर रही है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का इस हेतु कोई प्रत्यक्ष योजना शुरू करने का भी विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विशेष रूप से मध्यम और छोटे किसानों के लिए एक केंद्रीकृत दुधारू पशु पालन योजना लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जी हां। देश में दुधारू पशुओं के विकास सहित पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए**,** पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:

1. देशी नस्लों के विकास और संरक्षण**,** बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। दुधारू पशुओं के विकास के लिए योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं: (i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है; (ii) देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करने के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन लागू किया जा रहा है; (iii) बोवाईन आबादी के तेजी से आनुवंशिक उन्नयन के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स सोर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है; (iv) गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए जीनोमिक चयन लागू किया जा रहा है और (v) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITRI) को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है।

2. उद्यमिता विकास के लिए व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन, आहार एवं चारा विकास में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू किया जा रहा है। दिनांक 21.02.2024 को इस योजना में संशोधन किया गया है और पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट को कार्यकलापों में शामिल किया गया है।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है: (i) एनपीडीडी का घटक "क" राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और (ii) एनपीडीडी योजना के घटक "ख" "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुँच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम को पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागू किया जा रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत पशु औषधि संबंधी एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

(ग) दुधारू पशुओं सहित पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रत्यक्ष योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है।

(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र चुकौती पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

(घ) जी नहीं।

****